भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

संख्या 212/2K-Ff(WANA)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत और अल्जीरिया के बीच विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 14 सितम्बर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या AV.12012/14/94-A का संदर्भ देने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि भारत और अल्जीरिया के बीच विमान सेवा करार पर वास्तव में 25 जून, 2000 को हस्ताक्षर किए गए थे।करार पर मूल रूप से 26 जून को हस्ताक्षर किया जाना निर्धारित था, लेकिन 26.6.2000 को एयर फ्रांस के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की घोषणा किए जाने के कारण हमारे मंत्री को अपना प्रस्थान समय से पहले करना पड़ा, इसलिए हस्ताक्षर की तारीख को 25 जून कर दिया गया। चूंकि करार पर वास्तव में 25 जून, 2000 को हस्ताक्षर किए गए थे, हमारा विचार है कि तारीख को वास्तविक तारीख के रूप में दर्शाना उचित होगा।अतः नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध है कि करार के अंग्रेजी संस्करण में हस्ताक्षर की तारीख को 25 जून, 2000 के रूप में संशोधित करें। अंग्रेजी संस्करण की मूल प्रति इसके साथ वापस भेजी जा रही है। हम अलग से अल्जीयर्स स्थित अपने मिशन को भी उनके पास रखे गए अंग्रेजी संस्करण में तारीख संशोधित कराने तथा यह सुनिश्चित करने की सलाह दे रहे हैं कि करार के हिंदी और अरबी संस्करणों में भी यही तारीख हो।

(पी.के. दास)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष: 3013624 / फैक्स: 3014418

सेवा में,
नागर विमानन मंत्रालय
(श्री वी.जे. मेनन, अवर सचिव)
'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली

भारत गणराज्य सरकार और अल्जीरिया लोकतांत्रिक और जनवादी गणराज्य सरकार के बीच

विमान सेवा करार

भारत गणराज्य सरकार और अल्जीरिया के लोकतांत्रिक और जनवादी गणराज्य सरकार, जिन्हें इसके बाद पक्षकार कहा गया है;

7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोले गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेन्शन के पक्षकार होते हुए;

नागर विमानन के क्षेत्र में अपने पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने और अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच तथा उससे आगे विमान सेवाओं की स्थापना और संचालन के उद्देश्य से एक करार करने की इच्छा रखते हुए;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएँ

वर्तमान करार के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "कन्वेन्शन" पद का अर्थ 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेन्शन है और इसमें उस कन्वेन्शन के अनुच्छेद 90 के अधीन अपनाया गया कोई अनुलग्नक तथा उसके अनुच्छेद 90 और 94 के अधीन अनुलग्नकों या कन्वेन्शन में किया गया कोई संशोधन शामिल है, जहां तक ऐसे अनुलग्नक और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों के लिए प्रभावी हो गए हैं या दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा अपनाए गए हैं;

(ख) किसी राज्य के संबंध में "राज्यक्षेत्र" पद का वही अर्थ है जो कन्वेन्शन के अनुच्छेद 2 में उसे दिया गया है;

(ग) "वैमानिक प्राधिकरण" पद का अर्थ, भारत के मामले में, नागर विमानन महानिदेशक और अल्जीरिया के मामले में, परिवहन मंत्रालय-नागर विमानन और मौसम विज्ञान निदेशालय है और दोनों मामलों में, उक्त प्राधिकरणों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या निकाय है;

(घ) "नामित एयरलाइन" पद का अर्थ ऐसी एयरलाइन है जिसे प्रत्येक पक्षकार द्वारा वर्तमान करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया है;

(ङ) "विमान सेवा", "अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा", "एयरलाइन" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव" पदों के वही अर्थ हैं जो क्रमशः कन्वेन्शन के अनुच्छेद 96 में उन्हें दिए गए हैं;

(च) "यह करार" पद में इसके साथ संलग्न अनुलग्नक और इसमें या इस करार में किया गया संशोधन शामिल है; और

(छ) "उपयोगकर्ता प्रभार" पद का अर्थ एयरलाइनों पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा लगाया गया या उसके द्वारा लगाए जाने की अनुमति दिया गया ऐसा प्रभार है जो विमान, उनके चालक-दल, यात्रियों और माल के लिए हवाईअड्डे की संपत्ति या सुविधाओं अथवा वायु नौवहन सुविधाओं, जिनमें संबंधित सेवाएं और सुविधाएं शामिल हैं, के प्रावधान के लिए लिया जाता है।

अनुच्छेद 2

अधिकारों का प्रदान किया जाना

(1) प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार में उपबंधित अधिकार प्रदान करता है, ताकि उसकी नामित एयरलाइन अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित और संचालित कर सके। ऐसी सेवाओं और मार्गों को इसके बाद क्रमशः "सहमत सेवाएं" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है।

2. इस करार के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:-

(क) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर बिना उतरे उड़ान भरने का अधिकार;

(ख) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए उतरने का अधिकार; और

(ग) विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवा का संचालन करते समय यात्रियों, सामान, माल और डाक के अंतर्राष्ट्रीय यातायात को चढ़ाने और उतारने के प्रयोजन से दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में उतरने या ठहराव करने का अधिकार।

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (3) और (4) के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइनों को, अनुच्छेद 3 के अधीन नामित एयरलाइनों के अलावा, इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (2) के उप-पैराग्राफ (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार भी प्राप्त होंगे।

4. इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (2) की कोई बात एक पक्षकार की नामित एयरलाइन को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में उस दूसरे पक्षकार के किसी अन्य स्थान के लिए गंतव्य वाले यात्रियों, सामान, माल और डाक को चढ़ाने का अधिकार प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी।

अनुच्छेद 3

नामांकन और प्राधिकरण

1. प्रत्येक पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में दूसरे पक्षकार को एक या अधिक एयरलाइनों को नामित करे, जो विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का संचालन करेंगी, और किसी एयरलाइन के किसी नामांकन को लिखित रूप में वापस ले, प्रतिस्थापित या परिवर्तित करे।

2. सहमत सेवाएं किसी भी समय, पूर्णतः या आंशिक रूप से, आरंभ की जा सकती हैं, किंतु इससे पहले नहीं कि–

(क) जिस पक्षकार को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसने इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के अनुसार विनिर्दिष्ट मार्ग के लिए किसी एयरलाइन को नामित कर दिया हो;

(ख) अधिकार प्रदान करने वाले पक्षकार ने, न्यूनतम संभव विलंब के साथ और अनुच्छेद 4 के उपबंधों के अधीन, संबंधित एयरलाइन को उपयुक्त संचालन प्राधिकरण दे दिया हो;

(ग) अनुच्छेद 10 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ प्रवृत्त हो; और

(घ) अनुच्छेद 11 के उपबंधों के अनुसार समय-सारिणी दाखिल कर दी गई हो और उसे अस्वीकृत न किया गया हो।

3. इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (2) में उपबंधित उपयुक्त संचालन प्राधिकरण प्रदान करने के प्रयोजन से, एक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन से यह संतुष्ट करने की अपेक्षा कर सकते हैं कि संबंधित एयरलाइन कन्वेन्शन के उपबंधों के अनुरूप उन प्राधिकरणों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के संचालन के लिए सामान्यतः लागू कानूनों और विनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य है।

4. प्रत्येक पक्षकार को इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (2) में उल्लिखित संचालन प्राधिकरण देने से इनकार करने, या इस करार के अनुच्छेद 2(2) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के किसी नामित एयरलाइन द्वारा प्रयोग पर ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे, यदि उक्त पक्षकार इस बात से संतुष्ट न हो कि उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस पक्षकार में निहित है जिसने एयरलाइन को नामित किया है या उसके राष्ट्रिकों में निहित है। इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण"

अभिव्यक्ति का अर्थ है कि जब किसी नामित एयरलाइन द्वारा किसी अन्य देश की एयरलाइन अथवा किसी अन्य देश की सरकार या राष्ट्रिकों के साथ किसी करार (वित्तीय लीज समझौतों को छोड़कर) में प्रवेश करके सहमत सेवाएं संचालित की जाती हैं, तो एयरलाइन को नामित करने वाले पक्षकार या उसके राष्ट्रिकों को नामित एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण रखने वाला नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पक्षकार या उसके राष्ट्रिकों के पास नामित एयरलाइन की परिसंपत्तियों के अधिकांश भाग के स्वामित्व के अतिरिक्त–

(i) नामित एयरलाइन के प्रबंधन में प्रभावी नियंत्रण; और

(ii) नामित एयरलाइन के विमानों के बेड़े और उपकरणों के अधिकांश भाग का स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण भी न हो।

अनुच्छेद 4

प्राधिकरण का प्रतिसंहरण और परिसीमन

1. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण को दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन के संबंध में, अनुच्छेद 3 में उल्लिखित प्राधिकरण को रोकने, ऐसे प्राधिकरण को प्रतिसंहृत या निलंबित करने अथवा उस पर अस्थायी या स्थायी रूप से शर्तें लगाने का अधिकार होगा, किसी भी समय–

(क) यदि ऐसी एयरलाइन उन कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है जिन्हें वह पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण कन्वेन्शन के अनुरूप सामान्यतः लागू करते हैं; या

(ख) यदि उक्त पक्षकार इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसी एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस पक्षकार में निहित है जिसने एयरलाइन को नामित किया है या उसके राष्ट्रिकों में निहित है; या

(ग) यदि ऐसी एयरलाइन इस करार में निर्धारित शर्तों के अनुसार संचालन करने में विफल रहती है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के उप-पैराग्राफ (क), (ख) या (ग) में उल्लिखित कानूनों और विनियमों के आगे उल्लंघन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक न हो, उस उप-अनुच्छेद में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों से अनुच्छेद 17 के अनुसार परामर्श के बाद ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 5

कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग

1. किसी पक्षकार के वे कानून और विनियम जो अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन में लगे विमानों के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उससे प्रस्थान, अथवा ऐसे विमानों के उसके राज्यक्षेत्र के भीतर संचालन और नौवहन को नियंत्रित करते हैं, दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन के विमानों पर लागू होंगे।

2. किसी पक्षकार के वे कानून और विनियम जो यात्रियों, सामान, चालक-दल और माल, जिसमें डाक भी शामिल है, के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश, वहां ठहरने और वहां से प्रस्थान को नियंत्रित करते हैं, जैसे पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, मुद्रा तथा स्वास्थ्य और संगरोध संबंधी कानून और विनियम, दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन के विमान द्वारा ले जाए जा रहे यात्रियों, सामान, चालक-दल, माल और डाक पर तब लागू होंगे जब वे उक्त राज्यक्षेत्र में हों।

3. कोई भी पक्षकार अपने स्वयं के या किसी अन्य एयरलाइन को दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन पर, जो समान अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी हो, अपने सीमा-शुल्क, आप्रवासन, संगरोध और समान विनियमों के अनुप्रयोग में वरीयता नहीं देगा।

4. किसी पक्षकार के राज्यक्षेत्र से होकर सीधे पारगमन करने वाले और ऐसे प्रयोजनों के लिए आरक्षित हवाईअड्डे के क्षेत्र से बाहर न जाने वाले यात्रियों, सामान, माल और डाक पर, सुरक्षा उपायों, मादक पदार्थ

नियंत्रण या विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, सरल नियंत्रण से अधिक नहीं लगाया जाएगा। सीधे पारगमन में सामान और माल सीमा-शुल्क और अन्य समान करों से मुक्त होंगे।

अनुच्छेद 6

प्रमाणपत्रों और लाइसेंसों की मान्यता

1. एक पक्षकार द्वारा जारी या वैध किए गए और अभी प्रवृत्त वायु-योग्यता प्रमाणपत्र, दक्षता प्रमाणपत्र और लाइसेंस दूसरे पक्षकार द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के संचालन के प्रयोजन के लिए वैध माने जाएंगे, बशर्ते कि ऐसे प्रमाणपत्र और लाइसेंस कम-से-कम उन न्यूनतम मानकों के बराबर या उनसे ऊपर हों जो कन्वेन्शन के अनुसार स्थापित किए गए हैं।

2. तथापि, प्रत्येक पक्षकार अपने राज्यक्षेत्र के ऊपर उक्त सहमत सेवाओं के संचालन के प्रयोजन से, अपने स्वयं के राष्ट्रिकों को दिए गए या दूसरे पक्षकार द्वारा दिए गए अथवा वैध किए गए दक्षता प्रमाणपत्रों और लाइसेंसों को मान्यता देने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनुच्छेद 7

उपयोगकर्ता प्रभार

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन पर ऐसे उपयोगकर्ता प्रभार नहीं लगाएगा या लगाए जाने की अनुमति नहीं देगा जो समान अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं का संचालन करने वाली उसकी अपनी एयरलाइनों पर लगाए गए प्रभारों से अधिक हों।

2. प्रत्येक पक्षकार अपने सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों और उन सेवाओं तथा सुविधाओं का उपयोग करने वाली एयरलाइनों के बीच उपयोगकर्ता प्रभारों के संबंध में, जहां व्यावहारिक हो, ऐसी एयरलाइनों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से, परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। उपयोगकर्ता प्रभारों में किसी प्रस्तावित परिवर्तन की उचित सूचना ऐसे उपयोगकर्ताओं को दी जा सकती है, ताकि परिवर्तन किए जाने से पहले वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।

अनुच्छेद 8

सीमा-शुल्क और अन्य प्रभार

1. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर संचालित विमान, साथ ही उनका नियमित उपकरण, ईंधन और स्नेहक की आपूर्ति तथा ऐसे विमान पर सवार विमान भंडार (जिसमें खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू शामिल हैं), दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में पहुंचने पर सभी सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य समान प्रभारों से मुक्त होंगे, बशर्ते कि ऐसे उपकरण और आपूर्तियां विमान पर तब तक बनी रहें जब तक उन्हें पुनः निर्यात नहीं किया जाता।

2. निम्नलिखित भी उन्हीं शुल्कों, फीस और प्रभारों से, की गई सेवा के अनुरूप प्रभारों को छोड़कर, मुक्त होंगे:

(क) दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर संचालित बाहर जाने वाले विमानों की आपूर्ति के लिए नियत ईंधन और स्नेहक, भले ही इन आपूर्तियों का उपयोग उस यात्रा के उस भाग में किया जाना हो जो उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर से की जाती है जिसमें वे विमान पर चढ़ाए गए हैं।

(ख) संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्र में, उक्त पक्षकार के प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विमान पर चढ़ाए गए विमान भंडार, जो दूसरे पक्षकार की अंतर्राष्ट्रीय सेवा में लगे बाहर जाने वाले विमान पर उपयोग के लिए हों।

(ग) किसी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले विमानों के रखरखाव या मरम्मत के लिए लाए गए स्पेयर पार्ट्स।

3. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में संचालित ऐसे विमान पर सवार नियमित उपकरण, ईंधन और स्नेहक की आपूर्ति, विमान भंडार तथा स्पेयर पार्ट्स को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में उस पक्षकार के सीमा-शुल्क प्राधिकरणों की अनुमति के बिना उतारा नहीं जाएगा। इस स्थिति में उन्हें पुनः निर्यात किए जाने तक सीमा-शुल्क पर्यवेक्षण में रखा जाएगा या सीमा-शुल्क घोषणा के अधीन रखा जाएगा, यद्यपि वे नामित एयरलाइन की संपत्ति बने रहेंगे।

4. उपरोक्त उप-अनुच्छेदों के अनुसार सीमा-शुल्क शुल्कों या प्रभारों से सामान्यतः मुक्त किए गए उपकरण, भंडार और अन्य सामग्री, दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में रहते हुए, उस पक्षकार के सीमा-शुल्क प्राधिकरणों की अनुमति के बिना निपटाए नहीं जाएंगे।

अनुच्छेद 9

सहमत सेवाओं के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों को अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का संचालन करने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर होगा।

2. सहमत सेवाओं का संचालन करते समय, प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन के हितों को ध्यान में रखेगी, ताकि बाद वाली द्वारा उसी मार्ग या मार्गों के पूरे या किसी भाग पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर अनुचित प्रभाव न पड़े।

3. संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहमत सेवाओं का विनिर्दिष्ट मार्गों पर जनता की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के साथ निकट संबंध होगा और उनका प्राथमिक उद्देश्य उचित लोड फैक्टर पर यात्रियों, सामान, माल और डाक के परिवहन के लिए संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच वर्तमान और यथोचित रूप से प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध कराना होगा।

4. विनिर्दिष्ट मार्गों पर तीसरे राज्यों के राज्यक्षेत्रों में स्थित स्थानओं पर यात्रियों, सामान, माल और डाक को चढ़ाने तथा उतारने की कोई व्यवस्था इस सामान्य सिद्धांत के अनुसार की जाएगी कि क्षमता निम्नलिखित से संबंधित होगी:

(क) उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र से आने-जाने वाली यातायात संबंधी आवश्यकताएं जिसने एयरलाइन को नामित किया है;

(ख) उस क्षेत्र की यातायात संबंधी आवश्यकताएं जिससे होकर सहमत सेवाएं गुजरती हैं, उस क्षेत्र में स्थित राज्यों की एयरलाइनों द्वारा स्थापित अन्य परिवहन सेवाओं को ध्यान में रखने के बाद; और

(ग) माध्यम से संचालित एयरलाइन सेवा की आवश्यकताएं।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उप-अनुच्छेदों में निहित सिद्धांतों के आधार पर, सहमत सेवाओं पर उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता पर पहले दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों के बीच चर्चा की जाएगी। इस प्रकार चर्चा किए गए क्षमता स्तर संबंधित वैमानिक प्राधिकरणों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। क्षमता दोनों वैमानिक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख से प्रभावी होगी और उसके बाद सेवाएं आरंभ की जा सकती हैं।

6. क्षमता में किसी बाद की वृद्धि के लिए भी उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

7. यदि नामित एयरलाइनें उप-अनुच्छेद 5 और 6 के अनुसार क्षमता पर सहमत होने में विफल रहती हैं, तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकरण समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 10

टैरिफ

1. निम्नलिखित उप-अनुच्छेदों के प्रयोजन के लिए, "टैरिफ" का अर्थ यात्रियों और माल के परिवहन के लिए देय कीमत और वे शर्तें हैं जिनके अधीन ये कीमतें लागू होती हैं, जिसमें एजेंसी और अन्य सहायक सेवाओं के लिए कीमतें और शर्तें शामिल हैं, किंतु डाक के परिवहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं हैं।

2. एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) द्वारा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र तक या वहां से परिवहन के लिए लगाए जाने वाले टैरिफ उचित स्तरों पर निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें संचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (2) में उल्लिखित टैरिफ, यदि संभव हो, संविदाकारी पक्षों की संबंधित नामित एयरलाइनों द्वारा सहमत किए जाएंगे और ऐसी सहमति, जब भी संभव हो, टैरिफ निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का उपयोग करके या टैरिफ स्थापित करने के लिए दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा सहमत किसी अन्य प्रक्रिया के उपयोग से प्राप्त की जाएगी।

4. इस प्रकार सहमत टैरिफ दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकरणों के अनुमोदन के लिए उनके प्रस्तावित लागू होने की तारीख से कम-से-कम नब्बे (90) दिन पहले प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकरणों की सहमति के अधीन, यह अवधि कम की जा सकती है।

5. अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। यदि दोनों वैमानिक प्राधिकरणों में से किसी ने भी इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (4) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर अस्वीकृति व्यक्त नहीं की है, तो ऐसे टैरिफ अनुमोदित माने जाएंगे। यदि उप-अनुच्छेद (4) के अनुसार प्रस्तुति की अवधि कम की गई है, तो वैमानिक प्राधिकरण सहमत हो सकते हैं कि जिस अवधि के भीतर किसी अस्वीकृति की सूचना दी जानी है, वह तीस (30) दिनों से कम हो।

6. यदि इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (3) के अनुसार किसी टैरिफ पर सहमति नहीं हो सकती, या यदि इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (5) के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण को इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (3) के उपबंधों के अनुसार सहमत किसी टैरिफ की अस्वीकृति की सूचना देते हैं, तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकरण पारस्परिक सहमति से टैरिफ निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।

7. यदि वैमानिक प्राधिकरण इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (4) के अधीन उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ पर, या इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (6) के अधीन किसी टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं हो सकते, तो विवाद का निपटारा इस करार के अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित कोई टैरिफ तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक नया टैरिफ निर्धारित नहीं कर दिया जाता। तथापि, किसी विद्यमान टैरिफ का उपयोग इस उप-अनुच्छेद के आधार पर उस तारीख के बाद बारह (12) महीनों से अधिक समय तक नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तारीख को वह अन्यथा समाप्त हो गया होता।

अनुच्छेद 11

समय-सारिणी

1. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों को अनुमोदन के लिए, कम-से-कम तीस (30) दिन पहले, अपनी प्रस्तावित सेवाओं की समय-सारिणी प्रस्तुत करेगी, जिसमें आवृत्ति, विमान का प्रकार, विन्यास और जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली सीटों की संख्या निर्दिष्ट होगी।

2. उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित प्रक्रिया नामित एयरलाइन की अनुमोदित समय-सारिणी में किसी भी परिवर्तन पर भी लागू होगी।

3. यदि कोई नामित एयरलाइन अनुमोदित समय-सारिणियों में शामिल उड़ानों के अतिरिक्त पूरक उड़ानें संचालित करना चाहती है, तो उसे संबंधित पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

4. नामित एयरलाइन ऐसी कोई अन्य सूचना भी उपलब्ध कराएगी जो दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों को यह संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित हो सकती है कि इस करार की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 12

सूचना का प्रावधान

प्रत्येक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण, अनुरोध किए जाने पर, दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों को ऐसी आवधिक या अन्य सांख्यिकीय विवरण उपलब्ध कराएंगे या अपनी नामित एयरलाइन से उपलब्ध कराएंगे, जो सहमत सेवाओं के संचालन की समीक्षा करने के प्रयोजन से अपेक्षित हो सकते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी नामित एयरलाइन द्वारा प्रत्येक माह दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्रों के स्थानओं और विनिर्दिष्ट मार्गों पर अन्य स्थानओं के बीच ले जाए गए यातायात से संबंधित सांख्यिकीय विवरण शामिल होंगे। ऐसे आंकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, किंतु उस माह के बाद 30 दिनों से अधिक नहीं, उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे वे संबंधित हैं।

अनुच्छेद 13

आय का अंतरण

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन को उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र में यात्रियों, सामान, माल और डाक के परिवहन के संबंध में ऐसी नामित एयरलाइन द्वारा अर्जित प्राप्तियों और व्यय के बीच अधिशेष के मुक्त अंतरण का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे अंतरण चालू भुगतानों को नियंत्रित करने वाले संबंधित लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार किए जाएंगे। ये अंतरण आधिकारिक विनिमय दर पर किए जाएंगे और जहां कोई आधिकारिक विनिमय दर नहीं है, वहां चालू भुगतानों के लिए प्रचलित विदेशी मुद्रा बाजार दर पर किए जाएंगे।

2. यदि संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान का रूप किसी विशेष करार द्वारा नियंत्रित है, तो ऐसा करार लागू होगा।

अनुच्छेद 14

एयरलाइन का प्रतिनिधित्व

1. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन को पारस्परिकता के आधार पर दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में एयरलाइन कार्यालय स्थापित करने और उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश, रोजगार और निवास से संबंधित कानूनों और विनियमों के अधीन, सहमत सेवाओं के प्रावधान के लिए यथोचित रूप से अपेक्षित तकनीकी, प्रबंधकीय और परिचालन क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों को वहां लाने और बनाए रखने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक देश में प्रवृत्त कानूनों और विनियमों के अधीन तथा पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन को अपने राज्यक्षेत्र में वायु परिवहन की बिक्री करने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15

विमानन सुरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, पक्षकार पुनः पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा की रक्षा करने का उनका एक-दूसरे के प्रति दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन उनके अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, पक्षकार विशेष रूप से 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान पर किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित कन्वेन्शन, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-

कानूनी अपहरण के दमन के लिए कन्वेन्शन, 23 सितम्बर, 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के दमन के लिए कन्वेन्शन तथा 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन की सेवा करने वाले हवाई अड्डों पर हिंसा के गैर-कानूनी कृत्यों के दमन के लिए प्रोटोकॉल के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. पक्षकार अनुरोध किए जाने पर एक-दूसरे को नागर विमानों के गैर-कानूनी अपहरण के कृत्यों, तथा ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक-दल, हवाई अड्डों और वायु नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों और नागर विमानन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे को रोकने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. पक्ष अपने पारस्परिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेन्शन के अनुलग्नकों के रूप में निर्दिष्ट विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे, जहां तक ऐसे सुरक्षा उपबंध पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपेक्षा करेंगे कि उनके रजिस्ट्री के विमानों के परिचालक या ऐसे विमानों के परिचालक जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास उनके राज्यक्षेत्र में है तथा उनके राज्यक्षेत्र में हवाई अड्डों के परिचालक ऐसे विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक पक्षकार सहमत है कि ऐसे विमानों के परिचालकों से दूसरे पक्षकार द्वारा उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश, उससे प्रस्थान या उसके राज्यक्षेत्र में रहते समय अनुपालन के लिए उप-अनुच्छेद (3) में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्यक्षेत्र के भीतर विमान की सुरक्षा करने और यात्रियों, चालक-दल, हाथ में ले जाने वाली वस्तुओं, सामान, माल और विमान भंडार का बोर्डिंग या लोडिंग से पहले और उसके दौरान निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाएं। प्रत्येक पक्षकार किसी विशेष खतरे का सामना करने के लिए दूसरे पक्षकार के किसी भी उचित विशेष सुरक्षा उपाय के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

5. जब नागर विमान के गैर-कानूनी अपहरण या ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक-दल, हवाई अड्डों या वायु नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों की कोई घटना या ऐसी घटना का खतरा उत्पन्न होता है, तो पक्षकार संचार को सुगम बनाकर तथा ऐसी अन्य उपयुक्त व्यवस्थाएं करके एक-दूसरे की सहायता करेंगे जिनका उद्देश्य ऐसी घटना या उसके खतरे को शीघ्रता और सुरक्षित रूप से समाप्त करना हो।

6. प्रत्येक पक्षकार, जितना वह व्यावहारिक समझे, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगा कि गैर-कानूनी अपहरण या अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्य के अधीन कोई विमान, जो उसके राज्यक्षेत्र में उतरा है, भूमि पर तब तक रोका जाए जब तक कि मानव जीवन की रक्षा करने के अधिभावी कर्तव्य के कारण उसका प्रस्थान आवश्यक न हो। जहां तक व्यावहारिक हो, ऐसे उपाय पारस्परिक परामर्श के आधार पर किए जाएंगे।

अनुच्छेद 16

विवादों का निपटारा

1. यदि इस करार की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद संविदाकारी पक्षों के बीच उत्पन्न होता है, तो पक्षकार प्रथम दृष्टया ऐसे विवाद को वार्ता द्वारा निपटाने का प्रयास करेंगे।

2. यदि पक्षकार वार्ता द्वारा निपटारे पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो वे विवाद को मध्यस्थता के लिए किसी सक्षम व्यक्ति या निकाय को भेजने पर सहमत हो सकते हैं।

3. (क) यदि इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद 1 या 2 के अनुसार निपटारा नहीं होता है, तो किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर विवाद तीन मध्यस्थों के न्यायाधिकरण को निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों नियुक्त मध्यस्थों द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाने वाला तीसरा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(ग) प्रत्येक पक्षकार मध्यस्थता के लिए अनुरोध करने वाले दूसरे पक्षकार से राजनयिक माध्यमों से सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर अपना मध्यस्थ नियुक्त करेगा और तीसरा मध्यस्थ पहले दो मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए दी गई अवधि के अंतिम कैलेंडर दिवस के अगले दिन से आरंभ होने वाली आगामी साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाएगा।

(घ) यदि कोई पक्षकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है, या यदि तीसरा मध्यस्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर नियुक्त नहीं किया जाता है, तो किसी भी पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से, जैसा भी मामला हो, एक मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त अध्यक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थ इस करार के पक्षकार राज्यों के राष्ट्रिक या स्थायी निवासी नहीं होंगे। यदि परिषद के अध्यक्ष किसी पक्षकार के राष्ट्रिक हैं, तो परिषद के उपाध्यक्षों में से किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी तीसरे राज्य का राष्ट्रिक हो, उक्त मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया जाएगा।

4. पक्षकार उक्त न्यायाधिकरण द्वारा कार्यवाही के दौरान दिए गए किसी भी अंतरिम निर्णय का पालन करेंगे और उक्त न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय का पालन करेंगे।

5. यदि और जब तक कोई पक्षकार मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करने में विफल रहता है, तब दूसरा पक्षकार उस पक्ष को वर्तमान करार के आधार पर प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार को सीमित, रोक या प्रतिसंहृत कर सकता है।

6. प्रत्येक पक्षकार अपने मध्यस्थ की लागत और न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की लागत का आधा वहन करेगा।

अनुच्छेद 17

परामर्श

1. घनिष्ठ सहयोग की भावना से, पक्षकार या संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकरण इस करार के कार्यान्वयन, व्याख्या या अनुप्रयोग पर किसी भी समय परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा परामर्श चर्चा या पत्राचार के माध्यम से हो सकता है और अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होगा, जब तक कि दोनों पक्षकार इस अवधि के विस्तार पर सहमत न हों।

अनुच्छेद 18

करार में संशोधन और बहुपक्षीय वायु कन्वेन्शन की प्रयोज्यता

1. यदि किसी पक्षकार को इस करार में संशोधन करना वांछनीय लगता है, तो वह दूसरे पक्षकार के साथ परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श अनुरोध की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होगा। संविदाकारी पक्षों के बीच इस प्रकार सहमत कोई संशोधन राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने पर प्रवृत्त होगा।

2. इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद 1 के उपबंधों के बावजूद, इस करार के अनुलग्नक में संशोधन संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकरणों के बीच सीधे सहमत किए जा सकते हैं। ऐसे संशोधन उक्त वैमानिक प्राधिकरणों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत तारीख को और नोटों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने पर प्रवृत्त होंगे।

3. यह करार, आवश्यक परिवर्तनों सहित, वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन या बहुपक्षीय करार के उन उपबंधों द्वारा संशोधित माना जाएगा जो दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी हैं।

अनुच्छेद 19

करार और संशोधनों का पंजीकरण

यह करार और इसमें किए गए कोई भी बाद के संशोधन संविदाकारी पक्षों द्वारा पंजीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को प्रस्तुत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 20

करार की समाप्ति

1. कोई भी पक्षकार इस करार के प्रवर्तन में आने के बाद किसी भी समय राजनयिक माध्यम से दूसरे पक्षकार को इस करार को समाप्त करने के अपने निर्णय की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) को भी साथ-साथ संप्रेषित की जाएगी। यह करार दूसरे पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख से एक (1) वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले समाप्ति की सूचना को सहमति से वापस न ले लिया जाए।

2. दूसरे पक्षकार द्वारा समाप्ति की सूचना की प्राप्ति की स्वीकृति न दिए जाने की स्थिति में, सूचना को उस दूसरे पक्षकार द्वारा ICAO द्वारा उसकी प्राप्ति की स्वीकृति की तारीख से चौदह (14) दिन बाद प्राप्त माना जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले समाप्ति की सूचना को सहमति से वापस न ले लिया जाए।

अनुच्छेद 21

प्रवर्तन में प्रवेश

वर्तमान करार उस तारीख को प्रवर्तन में आएगा जिस तारीख को दोनों सरकारों ने एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित कर दिया हो कि प्रवर्तन में प्रवेश के लिए उनकी संबंधित संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी कर दी गई हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

______________________________ ______________________________

□□□□ भारत गणराज्य सरकार

□□□□ अल्जीरिया की लोकतांत्रिक और जनवादी गणराज्य सरकार

उम्रर अब्दुल्लाह

राज्य मंत्री,वाणीजीयक एवं उद्योग मंत्रालय

हामिद लौनऔकी

परिवहन मंत्री

अनुलग्नक

(मार्ग अनुसूची)

खंड I

भारत गणराज्य की नामित एयरलाइन के लिए

उद्गम के स्थान	मध्यवर्ती स्थान	अल्जीरिया में स्थान	आगे के स्थान
भारत में स्थान	सहमति से निर्धारित किए जाने वाले तीन स्थान	अल्जीयर्स	सहमति से निर्धारित किए जाने वाले दो स्थान

खंड II

अल्जीरिया के लोकतांत्रिक और जनवादी गणराज्य की नामित एयरलाइन के लिए

उद्गम के स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत में स्थान	आगे के स्थान
अल्जीरिया में स्थान	सहमति से निर्धारित किए जाने वाले तीन स्थान	दिल्ली या मुंबई में से कोई एक	सहमति से निर्धारित किए जाने वाले दो स्थान

टिप्पणियां:

1. उपरोक्त मार्गों पर किसी भी स्थान को संबंधित एयरलाइन के विकल्प पर किसी या सभी उड़ानों में छोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक सेवा उस देश के राज्यक्षेत्र में आरंभ या समाप्त हो जो एयरलाइन को नामित करता है।

2. जब तक विशेष रूप से अन्यथा सहमति न हो, खंड I और II में विनिर्दिष्ट न किए गए मध्यवर्ती और/या आगे के स्थानओं की सेवा पाँचवीं स्वतंत्रता यातायात अधिकारों का प्रयोग किए बिना की जा सकती है।

3. अल्जीरिया की नामित एयरलाइनों को किसी भी समय अपनी सभी सेवाओं के लिए दिल्ली या मुंबई में से एक स्थान चुनना होगा।